संख्या:20/2020/सा-3-482/दस-2020-322(1)/2010

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2020

विषयः राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में वेतन निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शासनादेश संख्या सा-3-1272/दस-3-56 दिनांक 26-08-1977 द्वारा निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश तत्समय केन्द्र सरकार की व्यवस्थानुसार निर्गत किया गया था । केन्द्र सरकार द्वारा Central Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986 द्वारा सिविल सेवा में पुनर्योजित होने वाले सभी व्यक्तियों के संबध में सिविल सेवा के पद पर वेतन निर्धारण के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जिसमें सैन्य पेंशनरों के वेतन निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश भी सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार के नियमों को संशोधित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों पर पुनर्योजित सैन्य पेंशनरों के वेतन निर्धारण के संबंध में Central Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986 के प्रस्तर 4 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है -

"4. <u>FIXATION OF PAY OF REEMPLOYED PENSIONERS.</u>

Reemployed pensioners shall be allowed to draw pay only in prescribed scales of pay for the posts in which they are reemployed. No protection of the scales of pay of the post held by them prior to retirement shall be given.

(i) In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on reemployment shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the reemployed post.

(ii) In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial pay on reemployment shall be fixed at the same stage as the last pay drawn before retirement. If there is no such stage in the reemployed post, the pay shall be fixed at the stage below that pay. If the maximum of the pay scale in which a pensioner is reemployed is less than the

–2/–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

last pay drawn by him before retirement, his initial pay shall be fixed at the maximum of the scale of the reemployed post. Similarly, if the minimum of the scale of the pay in which a pensioner is reemployed is more than the last pay drawn by him before retirement his initial pay shall be fixed at the minimum if the scale of pay of the reemployed post. However, in all these cases, non-ignorable part of the pension and pension equivalent of retirement benefits shall be reduced from the pay so fixed.

The reemployed pensioner will in addition to pay as fixed under para (b) above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.

In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are reemployed, pension (including pension equivalent of gratuity and other forms of retirement benefits) shall be ignored for initial pay fixation to the following extent:

In the case of ex-serviceman who held posts below commissioned officer rank in the Defence Forces and in the case of Civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored.

In the case of service officers belonging to the Defence Forces and Civilian Pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs.500/- of the pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored."

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय **(ignored)** है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय **(ignored)** नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(i) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा ।

(iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय **(ignored)** नहीं है, घटा दिया जायेगा।

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरूदघाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 20/2020/सा-3-482(1)/दस-2020-322(1)/2010 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।